न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/150

1. चरण सिंह खैरवाल पुत्र श्री बीरबल जाति खटीक निवासी ग्राम ईब्राहिमपुर तहसील हिण्डोन जिला करौली राजस्थान ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री भौरिया जाति धानका निवासी ग्राम कुतीना तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोंडेन्ट्स

2. बबली बेवा सुमेरचन्द जाति धानका,
3. संगीता पुत्री स्वं, सुमेर चंद जाति धानका,
4. प्रवीन पुत्र स्व. सुमेर चंद जाति धानका,
5. विजय पुत्र स्व. सुमेरचंद जाति धानका, क्रम संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये सरपरस्ती माता बबली बेवा सुमेरचंद जाति धानका समस्त निवासीयान ग्राम कुतीना तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना, जिला अलवर राजस्थान ।
6. तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर
7. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

—रेस्पोंडेन्ट्स

8. दयाराम पुत्र प्रहलाद जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान। (निर्णय पश्चात रिकार्ड पर आया।)

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर अलवरदिनांक **24.06.2013मुकदमा संख्या 11/56/2011**

उपस्थित—

1. श्री हरिशंकर जांगिड,वकील अपीलान्ट
2. श्री अश्वनी कुमार मीणा/श्री अनिल सोनी, रेस्पोडेन्ट नं. 8 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—03.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवरके निर्णय दिनांक 24.06.2013के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष तहसीलदार बहरोड द्वारा स्वीकृत वाके ग्राम बटाना तहसील बहरोड में स्थित खसरा नम्बर 349 रकबा 1.60 है0. भूमि में मृतक भौरिया उर्फ भौरेलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 08.11.2001को गलत बताते हुये अपील किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बहरोड को रिमाण्ड कर मृतक भौरिया उर्फ भौरेलालके जायज वारिसान की जॉच कर इन्तकाल पुनः निर्णित किये जाने के आदेश दिनांक 24.06.2013 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलक्टर अलवरदिनांक 24.06.2013के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीश्री चरण सिंह खैरवाल पुत्र श्री बीरबलद्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किआराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 1 हैक्टेयर 60 ऐयर वाके ग्राम बटाना तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली – बहरोड़ में स्थित है। जिसके खातेदार भौरिया पुत्र हजारी धानका निवासी कुतीना की मृत्यु होने के पश्चात बाद विरासत का नामा0 संख्या 171 ग्राम बटाना दर्ज किया गया जिसे तहसीलदार बहरोड़ द्वारा दिनांक 08.11.2001 उक्त मृतक मौरिया के एक मात्र वारिस काबिज जायदाद सुमेरसिह पुत्र मौरिया धानका के हक मे स्वीकृत किया गया। सुमेर सिंह पुत्र मौरिया धानका की मृत्यु पश्चात विरासत का इंतकाल संख्या 404 ग्राम बटाना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगयात 5 के हक में बाद जांच स्वीकृत की गई तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा उक्त आराजी का बेचना जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा वैध प्रतिफल पश्चात् अपीलान्ट के हक में दिनांक 26.03.2011 को किया गया। उक्त बैयनामा दिनांक 26.03.2011 के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरण संख्या 443 ग्राम बटाना दिनांक 01.04.2011 को स्वीकार किया गया। अपीलान्ट उक्त आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 1 हैक्टेयर 60 ऐयर पर लगातार काबिज रहकर कृषि करता आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मी पुत्री मौरिया धानका ने नामान्तरण संख्या 171 वाके ग्राम बटाना दिनांकित 8.11.2001 के विरूद्ध करीब 10–11 वर्ष बाद जिला कलक्टर अलवर के समक्ष बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये अपील पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान एवं अभिभाषक पक्षकारान की अनुपस्थिति मेविधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.2013 को पारित कर नामा0 संख्या 171 ग्राम बटाना को निरस्त कर अपील तहसीलदार बहरोड को पुनः निर्णित किये जाने के संबंध में रिमाण्ड की गई जिस पर तहसीलदार द्वारा नामा0 संख्या 171 वाके ग्राम बटाना मे 1/2 हिस्सा लक्ष्मी पुत्री भोरेलाल धानका दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। लक्ष्मी देवी द्वारा अपने 1/2 हिस्से का जरिये बैयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 दयाराम के हक में दिनांक 8.07.2015 को करवा दिया गया। बैयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 761 ग्राम बटाना मे दिनांक 23.07.2015 को स्वीकृत हुआ। मन अपीलान्ट अपनी आराजी की सार संभाल कर रहा था तब रेस्पोडेन्ट संख्या 8,कब्जे व बेदखल की नियत से उपस्थित हुआ। अधिनस्थ न्यायालय मेंरेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया जबकि अपीलान्ट रिकोर्डेड खातेदार था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर होने के बाद करीब 11 वर्ष बाद दिनांक 24.10.2011 को पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को बिना पक्षकार बनाये साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय किया गया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश एवं निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन करना चाहिये था । तहसीलदार नीमराना ने भी बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 26.06.2015 को प्रतापसिहपुरा कैम्प में निर्णय किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2013 अपास्त किया जावे। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला क्लैक्टर अलवर निर्णय दिनांक 24.06.2013 को निरस्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी ख0नं0 349 रकबा 1.60 हैक्टर भौरिया उर्फ भौरेलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । भौरिया की मृत्यु दिनांक 12.02.1999 को हो गई । भौरिया के केवल दो सन्तान सुमेरसिंह व अपीलान्ट लक्ष्मी पुत्री पैदा हुई। इसके अतिरिक्त कोई सन्तान नहीं थी । भौरिया की पत्नि ग्यारसी देवी की भी मृत्यु दिनांक 17.06.2001 को हो गई। मृतक के सुमेर चन्द व अपीलान्ट जायज सन्तान बची परन्तु सुमेर चन्द ने बाला–बाला इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया। सुमेर चन्द की मृत्यु हो गई है और रेस्पौ० 2 ला० 5 उसकी पत्नि व बच्चें हैं। सुमेर चन्द की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नि रेस्पौ० सं0–2 बबली भी बच्चों को छोड़कर चली गई तथा उसने रणसिंह पुत्र रत्तीराम के साथ घरवासा कर लिया। बबली का सुमेरचन्द की आराजी से कोई तालुक नहीं रहा । सुमेर चन्द की तीनों सन्तानों का पालन अपीलान्ट ही कर रही है। अकेले सुमेर चन्द के नाम गलत इन्तकाल स्वीकार किया था। उक्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 भाग बनता है। चूंकि बबली ने पुर्नविवाह कर लिया इसलिए उसका आराजी से कोई संबंध नहीं है और 1/2 भाग के हिस्सेदार रेस्पौ० सं०– 2 ला0 5 है। रेस्पो0 संख्या 8 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दयाराम के हक में दिनांक 8.07.2015 लक्ष्मी पुत्री भौरिया से 1/2 हिस्से का क्रय किया है। बैयनामा के आधार पर विधिवत् जॉच पश्चात् इंतकाल संख्या 761 ग्राम बटाना मे दिनांक 23.07.2015 को स्वीकृत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा विधिवत् जॉच पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्री का हक मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसकी पालना में तहसीलदार बहरोड द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार भौरिया के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, अतः अपीलाधीन आदेश उचित है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में बराबर का हक मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवंविधिसम्मत् है। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 19.10.2015 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार भौरिया पुत्र हजारी धानका निवासी कुतीना की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पो0 संख्या 1 लक्ष्मी पुत्री भौरिया जाति धानका मृतक खातेदार भौरिया उर्फ भौरेलाल की पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री को पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। तहसीलदार बहरोड द्वारा मृतक खातेदार भौरिया की विरासत का नामा0 संख्या 171 दिनांक 08.11.2001 केवल उसके पुत्र सुमेरचंद के हक में तस्दीक किया जाना उचित नहीं है।अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा विधिवत् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही नामा0 संख्या 171 दिनांक 08.11.2001 को निरस्त कर तहसीलदार बहरोड को मृतक खातेदार भौरिया की विरासत का नामान्तरकरण जायज वारिसान

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

के नाम पुनः तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी रेस्पो0 संख्या 1 विधिक अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 24.06.2013 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर